

THE APPRENTICES (RAJASTHAN AMENDMENT)

BILL, 2014

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Apprentices Act, 1961 in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Apprentices (Rajasthan Amendment) Act, 2014.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 6, Central Act No. 52 of 1961.- In the Apprentices Act, 1961 (Central Act No. 52 of 1961), in its application to the State of Rajasthan, hereinafter referred to as the principal Act, for the existing clause (b) of section 6, the following shall be substituted, namely:-

“(b) in the case of other apprentices, the period of apprenticeship training shall be such as may be prescribed by State Apprenticeship Council;”.

3. Amendment of section 7, Central Act No. 52 of 1961.- For the existing proviso to sub-section (3) of section 7 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“Provided that where a contract is terminated-

(a) for failure on the part of the employer to carry out the terms and conditions of the contract, the employer shall pay to the apprentice such compensation as may be determined by the State Apprenticeship Adviser;

(b) for such failure on the part of the apprentice, the apprentice shall refund to the employer as cost of

training, such amount as may be determined by the State Apprenticeship Adviser.”.

4. Amendment of section 8, Central Act No. 52 of 1961.- For the existing section 8 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“8. Number of apprentices for a designated trade.- (1) The State Government shall, after consulting the State Apprenticeship Council, by order notified in the Official Gazette, determine for each designated trade the ratio of trade apprentices to workers other than unskilled workers in that trade:

Provided that nothing contained in this sub-section shall be deemed to prevent any employer from engaging a number of trade apprentices in excess of the ratio determined under this sub-section.

(2) In determining the ratio under sub-section (1), the State Government shall have regard to the facilities available for apprenticeship training under this Act in the designated trade concerned as well as to the facilities that may have to be made available by an employer for the training of graduate or technician apprentices or technician (vocational) apprentices, if any, in pursuance of a notice issued to him under sub-section (3A) by the State Apprenticeship Adviser or such other person referred to in that sub-section.

(3) The State Apprenticeship Adviser may, by notice in writing, require an employer to engage such number of trade apprentices within the ratio determined by the State Government for any designated trade in his establishment, to undergo apprenticeship training in that trade and the employer shall comply with such requisition:

Provided that in making any requisition under this sub-section, the State Apprenticeship Adviser shall have

regard to the facilities actually available in the establishment concerned:

Provided further that the State Apprenticeship Adviser may, on a representation made to him by an employer and keeping in view the more realistic employment potential, training facilities and other relevant factors, permit him to engage such number of apprentices for a designated trade as is lesser than the number arrived at by the ratio for that trade, not being lesser than thirty per cent of the number so arrived at, subject to the condition that the employer shall engage apprentices in other trades in excess in number equivalent to such shortfall.

(3A) The State Apprenticeship Adviser or any other person not below the rank of an Assistant Apprenticeship Adviser authorised by the State Apprenticeship Adviser in writing in this behalf shall, having regard to-

- (i) the number of managerial person (including technical and supervisory persons) employed in a designated trade;
- (ii) the number of management trainees engaged in the establishment;
- (iii) the totality of the training facilities available in a designated trade; and
- (iv) such other factors as he may consider fit in the circumstances of the case;

by notice in writing, require an employer to impart training to such number of graduate or technician apprentices or technician (vocational) apprentices in such trade in his establishment as may be specified in such notice and the employer shall comply with such requisition.

Explanation.- In this sub-section the expression “management trainee” means a person who is engaged by an employer for undergoing a course of training in the establishment of the employer (not being apprenticeship

training under this Act) subject to the condition that on successful completion of such training, such person shall be employed by the employer on a regular basis.

(4) Several employers may join together for the purpose of providing practical training to the apprentices under them by moving them between their respective establishments.

(5) Where, having regard to the public interest, a number of apprentices in excess of the ratio determined by the State Government or in excess of the number specified in a notice issued under sub-section (3A) should in the opinion of the State Government be trained, the State Apprenticeship Adviser may require employers to train the additional number of apprentices.

(6) Every employer to whom such requisition as aforesaid is made, shall comply with the requisition if the State Government concerned makes available such additional facilities and such additional financial assistance as are considered necessary by the State Apprenticeship Adviser for the training of the additional number of apprentices.

(7) Any employer not satisfied with the decision of the State Apprenticeship Adviser under sub-section (6), may make a reference to the State Apprenticeship Council and such reference shall be decided by a Committee thereof appointed by the State Apprenticeship Council for the purpose and the decision of that Committee shall be final.”.

5. Amendment of section 9, Central Act No. 52 of 1961.- In section 9 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

“(1) Every employer shall, make suitable arrangements in his establishment or, outsource the

same to a suitable third party training provider for imparting a course of practical training to every apprentice engaged by it in accordance with the programme approved by the State Apprenticeship Adviser.”; and

(ii) for the existing sub-clauses (i) and (ii) of clause (a) of sub-section (8), the following shall be substituted, namely:-

“(i) *if such employer employs two hundred and fifty workers or more, by the employer and the Government in equal shares up to such a limit as may be laid down by the State Government and such amount shall be reimbursed by the State Government in each case of completion of successful training by the apprentice;*

(ii) *if such employer employs less than two hundred and fifty workers, by the State Government alone and such amount up to such a limit as may be laid down by the State Government shall be reimbursed by the State Government, and beyond that limit by the employer in each case of completion of successful training by the apprentice; and”.*

6. Amendment of section 13, Central Act No. 52 of 1961.- For the existing section 13 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“**13. Payment to apprentices.-** The employer shall pay to every apprentice during the period of apprenticeship training such stipend at a rate not less than the minimum wages notified by State Government under the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act No. 11 of 1948) for unskilled worker category, as may be specified in the contract of apprenticeship and the stipend so specified shall be paid at such intervals and subject to such conditions as may be prescribed.”.

7. Amendment of section 14, Central Act No. 52 of 1961.- For the existing section 14 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“14. Health, safety and welfare of apprentices.-

Where any apprentices are undergoing training in a factory, the provisions of Chapters III, IV and V of the Factories Act, 1948 (Central Act No. 63 of 1948), shall apply in relation to the health, safety and welfare of the apprentices as if they were workers within the meaning of that Act and when any apprentices are undergoing training in a mine, the provisions of Chapter V of the Mines Act, 1952 (Central Act No. 35 of 1952), shall apply in relation to the health, safety and welfare of the apprentices as if they were persons employed in the mine and when any apprentices are undergoing training in a shop or commercial establishment, the provisions of the Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958 (Act No. 31 of 1958), shall apply in relation to the health, safety and welfare of the apprentices as if they were persons employed in the shop or establishment.”.

8. Amendment of section 23, Central Act No. 52 of 1961.- For the existing sub-section (2) of section 23 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(2) Every State Council may be affiliated to the National Council and every State Apprenticeship Council may be affiliated to the Central Apprenticeship Council.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the skill sector and for an apprentice; the importance of shop-floor training in an industry, to learn by actually doing the job, can not be over-emphasized. Since creation of marketable skill is a State priority to make the youths of the State more employable; apprenticeship training scheme in Rajasthan under the Apprentices Act, 1961, needs to be effectively implemented. However, number of current provisions in the Act needs to be realigned to bring them in sync with rapidly changing skill sector.

The Apprentices Act, 1961 is a Central Act and received the assent of the President on 12th December, 1961. Subsequently, the Act was amended from time to time. Nonetheless, reasons generally attributed to poor implementation of Apprentice Training Scheme, stem from the inflexibility and incapability of the Act, to cater to the industry as well as to the apprentice in accordance with their felt needs.

The periods of training for various designated trades prescribed by Rules of 1992 under the section 6 of the Act are quite long. Now-a-days, compact modules of shorter durations with desired quality are available. Neither the apprentice nor the industry prefers long periods of training. Moreover, instead of the Union, the State being closely aware of the demands of the sectors should be empowered to carry out the required changes in consultation with industry. Therefore to make State Apprenticeship Council enable to prescribe the periods of training clause (b) of section 6 of the Act is proposed to be substituted.

In case of termination of an apprenticeship contract, either by the industry or by the apprentice, State Apprenticeship Council and State Apprenticeship Adviser are being empowered in place of their central counterparts in order to expedite the grievance redressal mechanism. Therefore proviso to sub-section (3) of section 7 of the Act is proposed to be substituted.

Section 8 stipulates the number of apprentices to be trained by an industry in a designated trade, as per a prescribed ratio

applicable to the number of permanent employees of the industry in the same trade. If an industry seeks lower number of apprentices in a particular trade, the same can be granted up to fifty per cent, provided the industry carries out adjustments of the rest of the seats in other trades. In order to make these provisions more realistic and conducive for the State to take steps as per the need, the State Apprenticeship Council, is being empowered to work out the ratio. Accordingly amendments are proposed under section 8 to replace the Union by the State. The lowest limit for a trade to qualify for intra-industry readjustment of seats is also being proposed to be reduced from fifty per cent to thirty per cent.

After completion of apprentice training under a designated trade as per prescribed curriculum, National Apprenticeship Council conducts the test and awards National Apprenticeship Certificate to successful candidates. Many industries lack proper working environment and trainer to conduct apprentice training in the campus. In the market today, there are third party professional trainers, capable of providing industry level training as per prescribed curriculum. However, current provisions do not allow third party training. Therefore sub-section (1) of section 9 is proposed to be substituted to allow third party training provider to conduct practical training of apprentices.

There has been persistent demand from the industries to exempt them to bear the recurring costs in connection with basic training imparted to trade apprentices. To encourage the industry to come forward to ensure better implementation of the Act, amendment in clause (a) of sub-section (8) of section 9 is proposed accordingly.

Without providing reasonable amount of stipend to defray the basic costs of accommodation, food and transport; it is not possible to attract large number of willing apprentices for apprenticeship training. The present amount of stipends being quite low. Therefore amendment in section 13 is proposed to pay

notified minimum wage of unskilled worker category to apprentices.

The purpose of amendment in section 14 is to make the health, safety and welfare standards as prescribed under Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958 applicable to apprentices under the Act. This will ensure uniformity across the sponsoring industries in the best interest of apprentices. Accordingly section 14 of the Act is proposed to be amended.

Section 23 of the Act provides for mandatory affiliation of State Council and State Apprenticeship Council to their central counterparts. The said provision is proposed for this to be made optional, to ensure more flexibility at State level for expeditious decision making in the apprenticeship training sector. Accordingly section 23 of the Act is proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

कालीचरण सराफ,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प.2 (25) विधि/2/2014 जयपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2014

प्रेषक: कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करती हूँ।

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill seeks to amend section 9 of the Apprentices Act, 1961. As per the amendment in section 9 cost of training is to be incurred by the State Government. Recurring costs including the cost of stipends incurred by an employer in connection with basic training imparted to trade apprentices other than those referred to in clauses (a) and (aa) of section 6 shall be borne-

- (i) if such employer employs two hundred and fifty workers or more, by the employer and the Government in equal shares;
- (ii) if such employer employs less than two hundred and fifty workers, 75% by the State Government.

It is estimated for the above stated amendment in section 9 an additional annual recurring expenditure to the tune of rupees 33.15 crore shall be involved, but by amendments in sections 6, 7, 8, 13, 14 and 23 no financial liability on the State Government is involved.

कालीचरण सराफ,
Minister Incharge.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED
LEGISLATION**

Clause 2 of the Bill, if enacted, shall empower the State Apprenticeship Council to prescribe period of apprenticeship training under the proposed clause (b) of section 6.

Clause 6 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to authorize the employer to pay, such stipend at such intervals and subject to such conditions as may be prescribed which shall not be less than the minimum wages notified by the State Government under the Minimum Wages Act, 1948 for unskilled labour under the proposed section 13.

The proposed delegation is of normal character and mainly relate to the matters of detail.

कालीचरण सराफ,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE APPRENTICES
ACT, 1961
(Central Act No. 52 of 1961)**

XX XX XX XX XX

6. Period of apprenticeship training.-The period of apprenticeship training, which shall be specified in the contract of apprenticeship, shall be as follows:-

(a) to (aa) xx xx xx xx xx

(b) in the case of other trade apprentices the period of apprenticeship training shall be such as may be prescribed;

(c) xx xx xx xx xx

7. Termination of apprenticeship contract.- (1) to
(2) xx xx xx xx xx

(3) After considering the contents of the applications and the objections, if any, filed by the other party, the Apprenticeship Adviser may, by order in writing, terminate the contract if he is satisfied that the parties to the contract or any of them have or has failed to carry out the terms and conditions of the contracts and that it is desirable in the interests of the parties or any of them to terminate the same:

Provided that where a contract is terminated-

(a) for failure on the part of the employer to carry out the terms and conditions of the contracts, the employer shall pay to the apprentice such compensation as may be prescribed;

(b) for such failure on the part of the apprentice or his guardian shall refund to the employer as post of training such amount as may be determined by the Apprenticeship Adviser.

(4) xx xx xx xx xx

8. Number of apprentices for a designated trade.- (1) The Central Government shall, after consulting the Central

Apprenticeship Council, by order notified in the Official Gazette, determine for each designated trade the ratio of trade apprentices to workers other than unskilled workers in that trade:

Provided that nothing contained in this sub-section shall be deemed to prevent any employer from engaging a number of trade apprentices in excess of the ratio determined under this sub-section.

(2) In determining the ratio under sub-section (1), the Central Government shall have regard to the facilities available for apprenticeship training under this Act in the designated trade concerned as well as to the facilities that may have to be made available by an employer for the training a graduate or technician apprentices, technician (vocational) apprentices, if any, in pursuance of any notice issued to him under sub-section (3A) by the Central Apprenticeship Adviser or such other person as is referred to in that sub-section.

(3) The Apprenticeship Adviser may, by notice in writing, require an employer to engage such number of trade apprentices within the ratio determined by the Central Government for any designated trade in his establishment, to undergo apprenticeship training in that trade and the employer shall comply with such requisition:

Provided, that in making any requisition under this sub-section, the Apprenticeship Adviser shall have regard to the facilities actually available in the establishment concerned:

Provided further that the Apprenticeship Adviser may, on a representation made to him by an employer and keeping in view the more realistic employment potential, training facilities and other relevant factors, permit him to engage such number of apprentices for a designated trade as is lesser than the number arrived at by the ratio for that trade, not being lesser than fifty per cent of the number so arrived at, subject to the condition that the employer shall engage apprentices in other trades in excess in number equivalent to such shortfall.

(3A) The Central Apprenticeship Adviser or any other person not below the rank of an Assistant Apprenticeship Adviser authorised by the Central Apprenticeship Adviser in writing in this behalf shall, having regard to-

- (i) the number of managerial persons (including technical and supervisory persons) employed in a designated trade;
- (ii) the number of management trainees engaged in the establishment;
- (iii) the totality of the training facilities available in a designated trade; and
- (iv) such other factors as he may consider fit in the circumstances of the case;

by notice in writing, require an employer to impart training to such number of graduate or technician apprentices, technician (vocational) apprentices in such trade in his establishment as may be specified in such notice and the employer shall comply with such requisition.

Explanation.-In this sub-section the expression “management trainee” means a person who is engaged by an employer for undergoing a course of training in the establishment of the employer (not being apprenticeship training under this Act) subject to the condition that on successful completion of such training, such person shall be employed by the employer on a regular basis.

(4) Several employers may join together for the purpose of providing practical training to the apprentices under them by moving them between their respective establishments.

(5) Where, having regard to the public interest, a number of apprentices in excess of the ratio determined by the Central Government or in excess of the number specified in a notice issued under sub-section (3A) should in the opinion of the appropriate Government be trained, the appropriate Government may require employers to train the additional number of apprentices.

(6) Every employer to whom such requisition as aforesaid is made, shall comply with the requisition if the Government concerned makes available such additional facilities and such additional financial assistance as are considered necessary by the Apprenticeship Adviser for the training of the additional number of apprentices.

(7) Any employer not satisfied with the decision of the Apprenticeship Adviser under sub-section (6), may make a reference to the Central Apprenticeship Council and such reference shall be decided by a Committee thereof appointed by that Council for the purpose and the decision of that Committee shall be final.

9. Practical and basic training of apprentices.- (1) Every employer shall make suitable arrangements in his workshop for imparting a course of practical training to every apprentice engaged by him in accordance with the programme approved by the Apprenticeship Adviser.

(2) to (7A) xx xx xx xx xx

(8) (a) Recurring costs (including the cost of stipends) incurred by an employer in connection with basic training imparted to trade apprentices other than those referred to in clauses (a) and (aa) of section 6 shall be borne-

(i) If such employer employs two hundred and fifty workers or more, by the employer;

(ii) If such employer employs less than two hundred and fifty workers, by the employer and the Government in equal shares up to such limit as may be laid down by the Central Government and beyond that limit, by the employer alone; and

(b) to (c) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

13. Payment to apprentices.- (1) The employer shall pay to every apprentice during the period of apprenticeship training such stipend at a rate not less than the prescribed minimum rate, or

the rate which was being paid by the employer on 1st January, 1970 to the category of apprentices under which such apprentices falls, whichever is higher, as may be specified in the contract of apprenticeship and the stipend so specified shall be paid at such intervals and subject to such conditions as may be prescribed.

(2) An apprentice shall not be paid by his employer on the basis of piece work nor shall he be required to take part in any output bonus or other incentive scheme.

14. Health, safety and welfare of apprentices.- Where any apprentices are undergoing training in a factory, the provisions of Chapters III, IV and V of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), shall apply in relation to the health, safety and welfare of the apprentices as if they were workers within the meaning of that Act and when any apprentices are undergoing training in a mine, the provisions of Chapter V of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), shall apply in relation to the health and safety of the apprentices as if they were persons employed in the mine.

XX XX XX XX XX

23. Authorities.- (1) xx xx xx xx xx

(2) Every State Council shall be affiliated to the National Council and every State Apprenticeship Council shall be affiliated to the Central Apprenticeship Council.

(2A) to (3) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2014 का विधेयक सं. 18

शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

शिक्षु अधिनियम, 1961 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम शिक्षु (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 52 की धारा 6 का संशोधन.- शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त, उसकी धारा 6 के विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) अन्य शिक्षुओं की दशा में शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि उतनी होगी, जितनी राज्य शिक्षुता परिषद् द्वारा विहित की जाए;"।

3. 1961 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 52 की धारा 7 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु जहां कोई संविदा-

(क) उसके निबन्धनों और शर्तों का पालन करने में नियोजक की असफलता के कारण पर्यवसित की जाए, वहां नियोजक शिक्षुओं को ऐसा प्रतिकर देगा, जो राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा अवधारित किया जाए;

(ख) शिक्षु की ऐसी असफलता के कारण पर्यवसित की जाए, वहां शिक्षु प्रशिक्षण के खर्च के रूप में नियोजक को उतनी रकम

वापस करेगा, जितनी राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा अवधारित की जाए।"।

4. 1961 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 52 की धारा 8 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"8. अभिहित व्यवसाय के लिए शिक्षुओं की संख्या.- (1) राज्य सरकार, राज्य शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, हर अभिहित व्यवसाय के लिए उस व्यवसाय के अकुशल कर्मकारों से भिन्न कर्मकारों से व्यवसाय शिक्षुओं का अनुपात, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, अवधारित करेगी:

परन्तु इस उप-धारा की कोई बात किसी नियोजक को इस उप-धारा के अधीन अवधारित अनुपात से अधिक संख्या में व्यवसाय शिक्षु रखने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अनुपात अवधारित करने में, राज्य सरकार संबंधित अभिहित व्यवसाय में इस अधिनियम के अधीन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का तथा उन सुविधाओं का भी, यदि कोई हों, ध्यान रखेगी जिन्हें किसी नियोजक को स्नातक या तकनीकी शिक्षुओं या तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए ऐसी किसी सूचना के अनुसरण में उपलब्ध कराना पड़े, जो उप-धारा (3क) के अधीन राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो उस उप-धारा में निर्दिष्ट है, उस नियोजक को दी गई हो।

(3) राज्य शिक्षुता सलाहकार, लिखित सूचना द्वारा, नियोजक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी अभिहित व्यवसाय के लिए राज्य सरकार द्वारा अवधारित अनुपात के भीतर इतने व्यवसाय शिक्षुओं को उस व्यवसाय में शिक्षुता-प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपने स्थापन में रखे जितने ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किये जाएं, और नियोजक ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन अपेक्षा करते समय राज्य शिक्षुता सलाहकार, संबंधित स्थापन में वस्तुतः उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखेगा:

परन्तु यह और कि राज्य शिक्षुता सलाहकार, किसी नियोजक द्वारा उसे अभ्यावेदन किये जाने पर और अधिक यथार्थवादी नियोजन सशक्तता, प्रशिक्षण सुविधाओं एवं अन्य सुसंगत कारकों को दृष्टिगत रखते हुए, उसे, किसी अभिहित व्यवसाय के लिए शिक्षुओं की ऐसी संख्या नियुक्त करने की अनुज्ञा दे सकेगा जो उस व्यवसाय के लिए अनुपात द्वारा आने वाली संख्या से कम हो, जो इस प्रकार आई संख्या के तीस प्रतिशत से कम न हो, इस शर्त के अध्यक्षीन कि नियोजक अन्य व्यवसायों में ऐसी कमी के बराबर संख्या से अधिक शिक्षुओं को नियुक्त करेगा।

(3क) राज्य शिक्षुता सलाहकार या इस निमित्त राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जो पंक्ति में सहायक शिक्षुता सलाहकार से कम न हो-

- (i) किसी अभिहित व्यवसाय में नियोजित प्रबन्धकार व्यक्तियों की (जिसके अन्तर्गत तकनीकी और पर्यवेक्षी व्यक्ति भी हैं) संख्या का;
- (ii) स्थापन में रखे गये प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का;
- (iii) किसी अभिहित व्यवसाय में उपलब्ध समग्र प्रशिक्षण सुविधाओं का; तथा
- (iv) अन्य ऐसी बातों का, जिन्हें वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे;

ध्यान रखते हुए किसी नियोजक से, लिखित सूचना द्वारा, यह अपेक्षा करेगा कि वह अपने स्थापन में ऐसे व्यवसाय में उतने स्नातकों या तकनीकी शिक्षुओं या तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षुओं को प्रशिक्षण दे जितने ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किये जाएं और नियोजक ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा में अभिव्यक्ति "प्रबंध प्रशिक्षणार्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे नियोजक के स्थापन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को (जो इस अधिनियम के अधीन शिक्षुता प्रशिक्षण नहीं है) पूरा करने के लिए नियोजक द्वारा इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए रखा गया है कि ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उसे नियोजक द्वारा नियमित आधार पर नियोजित कर लिया जाएगा।

(4) कई नियोजक अपने अधीन के शिक्षुओं को अपने तथा एक दूसरे के स्थापनों में भेजकर उनके लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण उपबंधित करने के प्रयोजन के लिए आपस में सम्मिलित हो सकेंगे।

(5) जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी संख्या में शिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित अनुपात से अधिक है या उप-धारा (3क) के अधीन जारी की गयी किसी सूचना में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है, वहां राज्य शिक्षुता सलाहकार नियोजकों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी अतिरिक्त संख्या में शिक्षुओं को प्रशिक्षित करे।

(6) हर नियोजक, जिससे यथापूर्वोक्त अपेक्षा की जाए, ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा, यदि राज्य सरकार ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं, और ऐसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता जैसी कि राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा शिक्षुओं की अतिरिक्त संख्या के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक समझी जाएं, उपलब्ध कर दे।

(7) कोई भी नियोजक, जो उप-धारा (6) के अधीन राज्य शिक्षुता सलाहकार के विनिश्चय से संतुष्ट न हो, राज्य शिक्षुता परिषद् को निर्देश कर सकेगा और वह निर्देश राज्य शिक्षुता परिषद् द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियुक्त की गयी उसकी समिति द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उस समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।"

5. 1961 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 52 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) हर नियोजक, राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार अपने द्वारा रखे गये हर शिक्षु को व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का अनुसरण कराने के लिए अपने स्थापन में उपयुक्त इंतजाम करेगा या, उन्हें किसी उपयुक्त तृतीय पक्ष प्रशिक्षण प्रदानकर्ता को आऊटसोर्स करेगा।"; और

(ii) उप-धारा (8) के खण्ड (क) के विद्यमान उप-खण्ड (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

- "(i) यदि ऐसा नियोजक दो सौ पचास या अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है तो ऐसी सीमा तक, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकथित की जाए, नियोजक और सरकार द्वारा समान अंशों में वहन की जायेगी और शिक्षु द्वारा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के प्रत्येक मामले में ऐसी रकम की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी;
- (ii) यदि ऐसा नियोजक दो सौ पचास से कम कर्मकारों को नियोजित करता है तो केवल राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी और ऐसी रकम, ऐसी सीमा तक जो राज्य सरकार द्वारा अधिकथित की जाए राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्त की जाएगी, और शिक्षु द्वारा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के प्रत्येक मामले में उक्त सीमा से आगे नियोजक द्वारा प्रतिपूर्त की जायेगी; और।"

6. 1961 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 52 की धारा 13 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"13. शिक्षुओं को संदाय.- नियोजक शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान हर शिक्षु को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 11) के अधीन अकुशल कर्मकार श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी, जैसीकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी है, से अन्यून दर से ऐसी वृत्तिका का संदाय करेगा, जैसी शिक्षुता-संविदा में विनिर्दिष्ट हो और इस प्रकार विनिर्दिष्ट वृत्तिका ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन संदत्त की जाएगी, जैसी विहित की जाएं।"

7. 1961 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 52 की धारा 14 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"14. शिक्षुओं का स्वास्थ्य, क्षेम और कल्याण.- जहां कि कोई शिक्षु किसी कारखाने में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वहां कारखाना

अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 63) के अध्याय 3, 4 और 5 के उपबंध शिक्षुओं के स्वास्थ्य, क्षेम और कल्याण के संबंध में ऐसे लागू होंगे मानो वे इस अधिनियम के अर्थ के अंदर कर्मकार हों और जबकि कोई शिक्षु किसी खान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों तब खान अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) के अध्याय 5 के उपबंध शिक्षुओं के स्वास्थ्य, क्षेम और कल्याण के संबंध में ऐसे लागू होंगे मानो वे खान में नियोजित व्यक्ति हों और जबकि कोई शिक्षु किसी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों तब राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 31) के उपबंध शिक्षुओं के स्वास्थ्य, क्षेम और कल्याण के संबंध में ऐसे लागू होंगे मानो वे दुकान या अधिष्ठान में नियोजित व्यक्ति हों।"।

8. 1961 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 52 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 23 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) हर राज्य परिषद् राष्ट्रीय परिषद् से संबद्ध हो सकेगी और हर राज्य शिक्षुता परिषद् केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से संबद्ध हो सकेगी।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कौशल क्षेत्र में और शिक्षु के लिए; कामकाज करते हुए सीखने के लिए किसी उद्योग में शोप-फ्लोर प्रशिक्षण के महत्व पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता। चूंकि राज्य के युवाओं को अधिक रोजगारपरक बनाये जाने के लिए विपण्य कौशल का सृजन राज्य की एक प्राथमिकता है; शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन राजस्थान में शिक्षु प्रशिक्षण स्कीम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है। तथापि, अधिनियम में के कई वर्तमान उपबंधों को तेजी से बदल रहे कौशल क्षेत्र के अनुरूप बनाने के लिए पुनर्गठित किया जाना आवश्यक है।

शिक्षु अधिनियम, 1961 एक केन्द्रीय अधिनियम है और इसे 12 दिसम्बर, 1961 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात्, अधिनियम समय-समय पर संशोधित किया गया था। तथापि, उद्योगों और साथ ही शिक्षु की उनकी महसूस की गयी आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ति करने में शिक्षु प्रशिक्षण स्कीम के कमजोर क्रियान्वयन के लिए आमतौर पर बताये जाने वाले कारण, अधिनियम की कठोरता और असामर्थ्यता से उद्भूत होते हैं।

अधिनियम की धारा 6 के अधीन 1992 के नियमों द्वारा विभिन्न अभिहित व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण की कालावधियां काफी लंबी हैं। आजकल, वांछित गुणवत्ता के साथ लघुतर अवधियों के सघन मोड्यूल उपलब्ध हैं। न तो शिक्षु और न ही उद्योग, प्रशिक्षण की दीर्घ कालावधियों को प्राथमिकता देते हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रों की मांग से केन्द्र की बजाय राज्य के निकटता से अवगत रहने के कारण उसे अपेक्षित परिवर्तनों को करने के लिए उद्योगों के परामर्श से सशक्त बनाया जाना चाहिए। इसलिए, प्रशिक्षण की कालावधियों को विहित करने में राज्य शिक्षु सलाहकार परिषद् को समर्थ बनाने के लिए अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (ख) को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

चाहे उद्योग द्वारा या शिक्षु द्वारा, शिक्षुता संविदा के पर्यवसान के मामले में, शिकायत निवारण तंत्र को त्वरित करने के क्रम में राज्य शिक्षुता परिषद् और राज्य शिक्षु सलाहकार को, उनके केन्द्रीय समकक्षों के स्थान पर सशक्त किया जा रहा है। इसलिए, अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) के परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

धारा 8 एक ही व्यवसाय में उद्योग में स्थायी कर्मचारियों की संख्या के लिए लागू विहित अनुपात के अनुसार, किसी उद्योग द्वारा अभिहित व्यवसाय में प्रशिक्षित किये जाने वाले शिक्षुओं की संख्या नियत करती है। यदि कोई उद्योग किसी विशेष व्यवसाय में शिक्षुओं की मांग कमतर संख्या में करता है तो उसे पचास प्रतिशत तक की मंजूरी दी जा सकती है, बशर्ते कि वह उद्योग अन्य व्यवसायों में शेष सीटों का समायोजन कर ले। आवश्यकतानुसार कदम उठाने के लिए, राज्य के लिए इन उपबंधों को और वास्तविक तथा सहायक बनाने के लिए, इस अनुपात को क्रियान्वित करने के लिए राज्य शिक्षुता परिषद् को सशक्त किया जा रहा है। तदनुसार, धारा 8 के अधीन संघ के स्थान पर राज्य को प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन प्रस्तावित हैं। सीटों के अन्तःउद्योग पुनर्समायोजन के लिए अर्हित करने हेतु किसी व्यवसाय के लिए न्यूनतम सीमा को पचास प्रतिशत से कम करके तीस प्रतिशत किया जाना भी प्रस्तावित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षुता परिषद् विहित पाठ्यचर्या के अनुसार अभिहित व्यवसाय में शिक्षु प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात्, परीक्षा संचालित करती है और सफल अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र प्रदान करती है। कई उद्योगों में परिसर में शिक्षु प्रशिक्षण संचालित करने के लिए उचित कार्यकारी वातावरण और प्रशिक्षक की कमी है। आज बाजार में, तृतीय पक्षकार व्यवसायिक प्रशिक्षक हैं जो विहित पाठ्यचर्या के अनुसार उद्योग-स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम हैं। तथापि, वर्तमान उपबंध तृतीय पक्ष प्रशिक्षण की अनुमति नहीं देते। इसलिए, शिक्षुओं के व्यावहारिक प्रशिक्षण के संचालन की तृतीय पक्ष प्रशिक्षण प्रदानकर्ता को अनुमति प्रदान करने के लिए धारा 9 की उप-धारा (1) को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

व्यावसायिक शिक्षुओं को दिये जाने वाले आधारभूत प्रशिक्षण के संबंध में आवर्ती खर्चों में छूट प्रदान करने की उद्योगों से लगातार मांग रही है। अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित किये जाने के लिए उद्योगों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु धारा 9 की उप-धारा (8) के खण्ड (क) में तदनुसार संशोधन प्रस्तावित है।

वास-सुविधा, भोजन और परिवहन के आधारभूत खर्चों की रकम भरपाई के लिए वृत्तिका की युक्तियुक्त रकम उपलब्ध कराये बिना इच्छुक शिक्षुओं को बड़ी संख्या में शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आकर्षित किया जाना संभव

नहीं है। वृत्तिका की वर्तमान रकम बहुत कम है। इसलिए, शिक्षुओं को अकुशल श्रेणी के लिए अधिसूचित निम्नतम मजदूरी का भुगतान किये जाने के लिए धारा 13 में संशोधन प्रस्तावित है।

धारा 14 में संशोधन का प्रयोजन यह है कि राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1958 के अधीन विहित स्वास्थ्य, क्षेम और कल्याण के मानकों को इस अधिनियम के अधीन शिक्षुओं के प्रति लागू किया जाये। इससे प्रायोजक उद्योगों में सभी जगह शिक्षुओं के सर्वोत्तम हित में एकरूपता सुनिश्चित होगी। तदनुसार, अधिनियम की धारा 14 संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 23 राज्य परिषद् और राज्य शिक्षुता परिषद् को उनके केन्द्रीय समकक्षों से आज्ञापक रूप से संबद्ध किये जाने का उपबंध करती है। उक्त उपबंध इसे वैकल्पिक बनाने के लिए प्रस्तावित है, ताकि राज्य स्तर पर शिक्षुता प्रशिक्षण सेक्टर में त्वरित निर्णय करने के लिए अधिक लचीलेपन को सुनिश्चित किया जा सके। तदनुसार, अधिनियम की धारा 23 संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

कालीचरण सराफ,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प.2 (25) विधि/2/2014 जयपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2014

प्रेषक: कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करती हूँ।

वित्तीय जापन

यह विधेयक शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 9 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है। धारा 9 में संशोधन के अनुसार प्रशिक्षण का खर्चा राज्य सरकार द्वारा उपगत किया जाना है। धारा 6 के खण्ड (क) और (कक) में निर्दिष्ट व्यवसाय शिक्षुओं से भिन्न शिक्षुओं को दिये जाने वाले बुनियादी प्रशिक्षण के संबंध में नियोजक द्वारा उपगत किये जाने वाली वृत्तिकाओं के खर्च को सम्मिलित करते हुए आवर्ती व्यय निम्नलिखित द्वारा वहन किये जायेंगे-

- (i) यदि ऐसा नियोजक दो सौ पचास या अधिक श्रमिक नियुक्त करता है तो नियोजक और सरकार द्वारा समान अंशों में;
- (ii) यदि ऐसा नियोजक दो सौ पचास श्रमिकों से कम नियुक्त करता है तो 75% राज्य सरकार द्वारा।

धारा 9 में उपर्युक्त संशोधन के लिए यह प्राक्कलित किया गया है कि 33.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होगा, किन्तु धारा 6, 7, 8, 13, 14 और 23 में संशोधनों से राज्य सरकार पर कोई वित्तीय दायित्व अन्तर्वलित नहीं है।

कालीचरण सराफ,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी जापन

विधेयक का खण्ड 2, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य शिक्षुता परिषद् को धारा 6 के प्रस्तावित खण्ड (ख) के अधीन शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 6, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को ऐसी वृत्तिका, ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन जो राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन अकुशल श्रमिकों के लिए अधिसूचित न्यूनतम दरों से कम नहीं होंगी, संदत्त करने के लिए प्रस्तावित धारा 13 के अधीन नियोजक को प्राधिकृत करने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजित सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

कालीचरण सराफ,
प्रभारी मंत्री।

**शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52)
से लिये गये उद्धरण**

XX XX XX XX XX

6. शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि.- शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि, जो शिक्षुता-संविदा में विनिर्दिष्ट की जाएगी, निम्नलिखित होगी:-

(क) से (कक) XX XX XX XX XX

(ख) अन्य व्यवसाय शिक्षुओं की दशा में शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि उतनी होगी, जितनी विहित की जाए:

(ग) XX XX XX XX XX

7. शिक्षुता-संविदा का पर्यवसान.- (1) से (2) XX XX

(3) आवेदन की अंतर्वस्तु और दूसरे पक्षकार द्वारा फाइल किए गए आक्षेपों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् शिक्षुता सलाहकार, यदि उसका समाधान हो जाए कि संविदा के पक्षकार या उनमें से कोई संविदा के निबन्धनों और शर्तों का पालन करने में असफल रहे हैं या रहा है और यह कि पक्षकारों के या उनमें से किसी के हित में यह वांछनीय है कि संविदा को पर्यवसित किया जाए, तो लिखित आदेश द्वारा संविदा को पर्यवसित कर सकेगा:

परन्तु जहां कि संविदा-

(क) संविदा के निबन्धनों और शर्तों का पालन करने में नियोजक की असफलता के कारण पर्यवसित की जाए, वहां नियोजक शिक्षुओं को ऐसा प्रतिकर देगा, जो विहित किया जाए:

(ख) शिक्षु की ऐसी असफलता के कारण पर्यवसित की जाए, वहां शिक्षु या उसका संरक्षक प्रशिक्षण के खर्च के रूप में नियोजक को उतनी रकम वापस करेगा, जितनी शिक्षुता सलाहकार द्वारा अवधारित की जाए।

(4) XX XX XX XX XX

8. अभिहित व्यवसाय के लिए शिक्षुओं की संख्या.- (1) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद से परामर्श करने के पश्चात्, हर अभिहित व्यवसाय के लिए उस व्यवसाय के अकुशल कर्मकारों से भिन्न कर्मकारों से व्यवसाय शिक्षुओं का अनुपात, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, अवधारित करेगी:

परन्तु इस उप-धारा की कोई बात किसी नियोजक को इस उप-धारा के अधीन अवधारित अनुपात से अधिक संख्या में व्यवसाय-शिक्षु रखने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अनुपात अवधारित करने में केन्द्रीय सरकार संबंधित अभिहित व्यवसाय में इस अधिनियम के अधीन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का तथा उन सुविधाओं का भी, यदि कोई हों, ध्यान रखेगी जिन्हें किसी नियोजक को स्नातक या तकनीकी शिक्षुओं, तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए ऐसी किसी सूचना के अनुसरण में उपलब्ध करना पड़े, जो उप-धारा (3क) के अधीन केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो उस उप-धारा में निर्दिष्ट है, उस नियोजक को दी गई हो।

(3) शिक्षुता सलाहकार, लिखित सूचना द्वारा, नियोजक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी अभिहित व्यवसाय के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित अनुपात के भीतर इतने व्यवसाय शिक्षुओं को उस व्यवसाय में शिक्षुता-प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपने स्थापन में रखे जितने ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, और नियोजक ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन अपेक्षा करते समय शिक्षुता सलाहकार संबंधित स्थापन में वस्तुतः उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखेगा:

परन्तु यह और भी कि शिक्षुता सलाहकार, किसी नियोजक द्वारा उसे प्रतिनिधित्व किये जाने पर और अधिक यथार्थवादी नियोजन सशक्तता, प्रशिक्षण सुविधाओं एवं अन्य सुसंगत कारकों को दृष्टिगत रखते हुए, उसे, किसी अभिहित व्यवसाय के लिये शिक्षुओं की ऐसी संख्या नियुक्त करने की अनुज्ञा दे सकेगा जो उस व्यवसाय के लिये अनुपात द्वारा आने वाली संख्या से कम हो, जो इस प्रकार आई संख्या के पचास प्रतिशत से कम न हो, इस शर्त के अधीन कि नियोजक अन्य व्यवसायों में ऐसी कमी के बराबर संख्या से अधिक शिक्षुओं को नियुक्त करेगा।

(3क) केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार या केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जो पंक्ति में सहायक शिक्षुता सलाहकार से कम न हो-

- (i) किसी अभिहित व्यवसाय में नियोजित प्रबन्धकार व्यक्तियों की (जिसके अन्तर्गत तकनीकी और पर्यवेक्षी व्यक्ति भी हैं) संख्या का;
- (ii) स्थापन में रखे गये प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का;
- (iii) किसी अभिहित व्यवसाय में उपलब्ध समग्र प्रशिक्षण सुविधाओं का; तथा
- (iv) अन्य ऐसी बातों का, जिन्हें वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे;

ध्यान रखते हुए किसी नियोजक से, लिखित सूचना द्वारा, यह अपेक्षा करेगा कि वह अपने स्थापन में ऐसे व्यवसाय में उतने स्नातकों या तकनीकी शिक्षुओं, तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षुओं को प्रशिक्षण दे जितने ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं और नियोजक ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा में "प्रबंध प्रशिक्षणार्थी" पद से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे नियोजक के स्थापन में प्रशिक्षणक्रम (जो इस अधिनियम के अधीन शिक्षुता प्रशिक्षण नहीं है) पूरा करने के लिए नियोजक द्वारा इस शर्त के अधीन रखा गया है कि ऐसी प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक पूरा करने पर उसे नियोजक द्वारा नियमित आधार पर नियोजित कर लिया जाएगा।

(4) कोई नियोजक अपने अधीन के शिक्षुओं को अपने तथा एक दूसरे के स्थापनों में भेजकर उनके लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण उपबंधित करने के प्रयोजन के लिए आपस में सम्मिलित हो सकेंगे।

(5) जहां कि समुचित सरकार कि यह राय हो कि लोक हित को ध्यान में रखते हुए यह है कि ऐसी संख्या में शिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित अनुपात से अधिक है या उपधारा (3क) के अधीन जारी की गई किसी सूचना में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है वहां समुचित सरकार नियोजकों से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह शिक्षुओं की अतिरिक्त संख्या को प्रशिक्षित करे।

(6) हर नियोजक, जिससे यथापूर्वोक्त अपेक्षा की जाए, ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा, यदि संपृक्त राज्य सरकार ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं, और

ऐसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता जैसी कि शिक्षता सलाहकार द्वारा शिक्षुओं की अतिरिक्त संख्या के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक समझी जाएं, उपलब्ध कर दे।

(7) कोई भी नियोजक, जो उप-धारा (6) के अधीन के शिक्षता सलाहकार के विनिश्चय से संतुष्ट न हो, केन्द्रीय शिक्षता परिषद को निर्देश कर सकेगा और वह निर्देश उस परिषद द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई उसकी समिति द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उस समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

9. शिक्षुओं का व्यावहारिक एवं बुनियादी प्रशिक्षण.- (1) हर नियोजक शिक्षता सलाहकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार अपने द्वारा रखे गए हर शिक्षु को व्यावहारिक प्रशिक्षण क्रम का अनुसरण कराने के लिए उपयुक्त इंतजाम अपनी कर्मशाला में करेगा।

(2) से (7क) XX XX XX XX XX

(8)(क) धारा 6 के खण्ड (क) और (कक) में निर्दिष्ट व्यवसाय शिक्षुओं से भिन्न व्यवसाय शिक्षुओं को दिए गए बुनियादी प्रशिक्षण के संबंध में नियोजक द्वारा उपगत किए गए आवर्ती खर्च (जिनके अंतर्गत वृत्तिकाओं का खर्च आता है)-

- (i) यदि ऐसा नियोजक दो सौ पचास या अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है तो नियोजक द्वारा वहन किए जाएंगे,
- (ii) यदि ऐसा नियोजक दो सौ पचास से कम कर्मकारों को नियोजित करता है तो ऐसी सीमा तक, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए, नियोजक और सरकार द्वारा समान अंशों में वहन किए जाएंगे और उस सीमा के आगे केवल नियोजक द्वारा वहन किए जाएंगे; तथा

(ख) से (ग) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

13. शिक्षुओं को संदाय.- (1) नियोजक शिक्षता प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान हर शिक्षु को विहित न्यूनतम दर से या ऐसी दर से, जो नियोजक द्वारा ऐसे प्रवर्ग के शिक्षुओं के लिए, जिसके अधीन शिक्षु आता है, 1970 की पहली जनवरी को संदत्त की जा रही थी, इनमें से, जो भी अधिक हो, उससे अन्यून दर से ऐसी वृत्तिका का संदाय करेगा, जैसी शिक्षता-संविदा में विनिर्दिष्ट हो और ऐसे

विनिर्दिष्ट वृत्तिका ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन संदत्त की जाएगी, जैसी विहित की जाएं।

(2) शिक्षु को उसके नियोजक द्वारा न तो किसी मात्रानुपाती काम के आधार पर संदाय किया जाएगा और न किसी उत्पादन बोनस या अन्य प्रोत्साहन स्कीम में भाग लेने की उससे अपेक्षा की जाएगी।

14. शिक्षुओं का स्वास्थ्य, क्षेम और कल्याण.- जहां कि कोई शिक्षु किसी कारखाने में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वहां कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अध्यायों 3, 4 और 5 के उपबंध शिक्षुओं के स्वास्थ्य, क्षेम और कल्याण के संबंध में ऐसे लागू होंगे मानो वे उस अधिनियम के अर्थ के अंदर कर्मकार हों और जब कि कोई शिक्षु किसी खान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों तक खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अध्याय 5 के उपबंध शिक्षुओं के स्वास्थ्य और क्षेम के संबंध में ऐसे लागू होंगे मानो वे खान में नियोजित व्यक्ति हों।

XX XX XX XX XX

23. प्राधिकारी.- (1) XX XX XX XX XX

(2) हर राज्य परिषद राष्ट्रीय परिषद से संबद्ध होगी और हर राज्य शिक्षुता परिषद केन्द्रीय शिक्षुता परिषद से संबद्ध होगी।

(2क) से (3) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)
राजस्थान विधान सभा

शिक्षु अधिनियम, 1961 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने
के निमित्त और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

तौफीक हुसैन हाशमी,
उप सचिव।

(कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 18 of 2014

**THE APPRENTICES (RAJASTHAN AMENDMENT)
BILL, 2014**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Apprentices Act, 1961 in its application to the State of Rajasthan.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

TOFEEQUE HUSAIN HASHMI,
Deputy Secretary.

(Kali Charn Saraf, **Minister-Incharge**)